3563/...

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–9
संख्या– 3410/5–9–2008–9(37)/07,
लखनऊ दिनॉक : 22 जनवरी 2009,

कार्यालय–ज्ञाप

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन कार्यालय ज्ञाप संख्या–3026/5–9–2007–9(37)/07 दिनॉक 05.09.2007 द्वारा किया गया है। मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, लखनऊ के पत्र संख्या–एन0आर0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/2008/4738 दिनॉक 26.12.2008 द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि मा0 उ0प्र0 राज्य सलाहकार परिषद की बैठक दिनॉक 24.12.2008 में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त समिति में ग्राम पंचायत अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में नामित किया जाय।

2– उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 05.09.2007 द्वारा गठित ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में ग्राम पंचायत अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

3– उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 05.09.2007 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(प्रदीप शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 3410/5–9–2009–तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2) प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाई, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,/परिवार कल्याण,उ0प्र0, लखनऊ।
(7) महाप्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उ0प्र0, लखन
(8) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0एल0गुप्ता)
विशेष सचिव।

Dr Dixit
29.1.09

p